



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1202 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1202

विषय/ Sub: इलेक्ट्रॉनिक मोड्यूल, पार्ट सं. सीडब्ल्यूयू - 4 [असेंब्ली सं. एसओआरटीएस(एलएक्स-3)]/
Electronic Module, Part No.: CWU-4 [Assembly No. SORTS (LX-3)]

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स लैक्स्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंट्स एंड कंट्रोलस प्राइवेट लिमिटेड, के-16, एमआईडीसी, अंबाड, नासिक - 422 010, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "इलेक्ट्रॉनिक मोड्यूल" पार्ट सं. सीडब्ल्यूयू - 4, [असेंब्ली सं.एसओआरटीएस (एलएक्स-3)] को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए - 1202, दिनांक 16 मई 2006, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1202 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1202/1आर, दिनांक 16 जून 2012 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक थी।

This is to state that the "Electronic Module" bearing the Part Number: CWU - 4 [Assembly No. SORTS (LX - 3)], designed, developed and manufactured by M/s Laxtronics Instruments & Controls Pvt. Ltd., K-16, MIDC, Ambad, Nasik - 422 010 was issued with Type Approval Number: 1202 vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-1202, dated: 16th May 2006. Subsequently it was renewed vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-1202/1R, dated: 16th June 2012 with its validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), डीआरडीओ. सेमिलैक, द्वारा एचएएल पोस्ट, नासिक-422 010, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st February 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), DRDO, CEMILAC, C/o HAL Post, Nasik-422 010, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1202 दिनांक 16 मई 2006 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1202, dated: 16th May 2006 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru-560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-1202/2R

दिनांक /Date : 15 February 2018

फैक्ससं./Fax No: 080 - 2523 0856

PS HR.

P. Jayal

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)